

रीडर

25-315 वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं। प्रतिवादी नं० 2, 3 की ओर से जवाब दावा पेश हुआ। प्रतिवादी नं० 4, 5, 6, 7 को दि० 29-3-15 की पेशी के लिये सम्मन प्राप्त होने के बाद भी वे हाजिर अदालत नहीं हुए हैं। अतः इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। तलबी प्रतिवादी नं०-1 की जाकर पत्रा० दि० 6-5-15 को पेश हो।

6-5-15 वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं। तलबी प्रतिवादी नं० 1 की जाकर पत्रावली दि० 17-6-2015 को पेश हो।

17-6-15 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं। जाकर P.O. पर कर रहे हैं। अतः पत्रावली दि० 19-6-15 लोक अदालत शिविर कामनबडौदा पर पेश हो।

2658-64  
9/6/15

19-6-15 पत्रावली आज लोक अदालत शिविर कामनबडौदा में पेश हुई। वादी सन्तोष व वकील प्रतिवादी नं० 2, 3 उपस्थित हैं। वादी सन्तोष ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि वादपत्र में प्रारम्भिक त्रुटि होने के कारण वादी अपना दावा वापिस लेकर नया दावा पेश करना चाहता है। अतः वादी को दावा वापिस लेने, नवीन दावा पेश करने व प्रस्तुत दस्तावेजात वापिस लौटाने की अनुमति दी जावे।

सन्तोष

मुनिदेव  
दि. 25/3

अतः प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार वादी को नवीन दावा पेश करने, प्रस्तुत दावा वापिस लेने एवं इस दावे में वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात वापिस लौटाने की अनुमति दी जाती है। पचा डिफ्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तदमील कारखिल दफ्तर हो।

(सतीश कुमार शर्मा)  
मन-

सदस्य  
लोक अदालत  
गंगापुर सिटी

(मुनिदेव यादव)

अध्यक्ष  
लोक अदालत  
गंगापुर सिटी  
उप जिला कलेक्टर  
गंगापुर सिटी

**मूल वाद मे डिक्री**

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

**न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी**  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कंप कोर्ट) बामनबडौदा

पीठासीन अधिकारी:- मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

सन्तोष पुत्र मूड्या, रैगर निवासी बामनबडौदा तहसील गंगापुरसिटी

---वादी

बनाम

1. जुगनूलाल पुत्र मनफूल, कोली निवासी सुखदेवपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली
2. केसरीलाल पुत्र लालचन्द, रैगर निवासी बामनबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
3. बाबूलाल पुत्र लालचन्द, रैगर निवासी बामनबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
4. मुकेश पुत्र मूड्या, रैगर निवासी बामनबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
5. सुरेश पुत्र मूड्या, रैगर निवासी बामनबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
6. मुञ्जोटी बेवा मूड्या, रैगर निवासी बामनबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
7. तहसीलदार लैण्ड होल्डर गंगापुर सिटी

---प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, विभाजन, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. - 112/2014

वादी की ओर से वादी सन्तोष व प्रतिवादी की ओर से वकील प्रतिवादी नं0 2, 3 रवि कुमार शर्मा की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 19.6.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार प्रस्तुत दावा वापिस लेने दावे में प्रस्तुत दस्तावेज वापिस लौटाने एवं नवीन दावा पेश करने की अनुमति दी जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 19.6.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाया जा रहा है।



मुनिदेव यादव  
उपखंड अधिकारी  
उप जिला कलेक्टर  
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	प्लीडर की फीस	
4 .....रूपये पर प्लीडर की फीस	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील		
जोड़	जोड़	

नं० 2, 3 की  
नं० 4, 5, 6, 7  
मन प्राप्त होने  
ए है। अतः  
गती है।  
6-5-15

नं० 1 की  
पेश हो।  
(क)

2658-64  
9/6/15

नं० पेश हुई।  
साक्षित है।  
वा किया है  
अपना दावा  
अतः वादी को  
मुद्रा दस्तावेज  
नवीन दावा  
दावे में वादी  
अनुमति दी  
वली फैसल  
प्रतीक कारखाने